

प्रेषक,

सख्या-1567/52-1-08-1(75)/96

ध्यानपाल सिंह चौहान,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

✓ निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,
उ०प्र०, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 14 जुलाई, 2008

635
21.07.08

विषय:-नवसृजित जनपद कासीराम नगर में जनपद स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों का सृजन।

महोदय,


उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा नव सृजित जनपद कासीराम नगर की स्थापना का निर्णय लिया गया है। जनपद कासीराम नगर में जनपद स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अस्थाई पदों के सृजन हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार एक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, एक वरिष्ठ लिपिक तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों के सृजन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०स०	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1	2	3	4
1.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	6500-10500	01
2.	वरिष्ठ लिपिक	4000-6000	01
3.	चपरासी	2550-3200	01
	योग		03

Dr. Hazida
21/07/08
Dr

- उक्त पदों का सृजन दिनांक 28.2.2009 तक के लिये सृजित किये जा रहे हैं तथा इसके पूर्व कभी भी इन्हें समाप्त किया जा सकता है।
- उक्त पदों की आवश्यकता होने पर समय-समय पर कमागत स्वीकृति (निरन्तरता) निर्गत कर आगे भी बनाया रखा जायेगा।
- उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देय वेतन/भत्ते अनुमन्य होगा।
- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें (आयोजनागत)-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-मण्डलीय तथा जिला कार्यालय के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।


6. यह आदेश वित्त विभाग के असासकीय संख्या- 1267 / वस-ई-11- विनांक 13 फरवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भारतीय,

(ध्यानपाल सिंह चौहान)
उप सचिव।

संख्या- (1)/52-1-08 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, कांसीराम नगर।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/ वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(ध्यानपाल सिंह चौहान)
उप सचिव।